न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई जिला-भरतपुर (राज)
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना RAS

प्रकरण सं. 165/2018

नि०म०मु० प्रार्थना पत्र- 212 RTA

निर्णय दिनांक- 28/01/2020

(1) मुन्नालाल पुत्र भोला
(2) बाबूलाल पुत्र- मुन्नालाल
(3) भागचंद पुत्र- मुन्नालाल
(4) सोनू उर्फ राजकुमार पुत्र- रमेश-
(5) मोनू कुमार पुत्र- रमेश-
(6) भूरीदेवी पत्नि रमेश-
(7) राकेश पुत्र रमेश नाबालिग व विलायत माता खुद- भूरीदेवी पत्नि रमेश- जाति- राजकुमार भवाली बालवाह तहसील- नदबई

जाति- राजकुमार भवाली- बालवाह- समस्त- तह० नदबई जिला भरतपुर- (राज.)

!- प्रार्थीगण

बनाम-

—x—

(1) महेश पुत्र रामजीलाल
(2) पुरुषोत्तम पुत्र- रामजीलाल
(3) लखन पुत्र- रामजीलाल
(4) अमरचन्द पुत्र- पूरन-
(5) जीवन- पुत्र पूरन-
(6) भीष्म पुत्र- पूरन-

जाति- समस्त राजकुमार भवाली- बालवाह- तह० नदबई जिला- भरतपुर (राज)

(7) राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
(8) उप रजिस्ट्रार नदबई.

!- अप्रार्थीगण-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

उपस्थित:- श्री- लक्ष्मणसिंह. अधि-

निर्णय:- प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा- 212 RTA

(1) यह है कि- प्रार्थी द्वारा- प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा- 212 RTA को पेश किया गया है.

(2) यह है कि- आराजी ख.न. 128 रकबा 0.12, 129 रकबा 0.12, 25 रकबा 0.18, 27 रकबा 0.13, 28 रकबा 0.12 किता- 5 कुल रकबा 0.67 हैक्ट. वाके ग्राम लालचाद पर स्थित है जिसके 1/2 हिस्से का प्रार्थी सं.1 खातेदार काश्तकार काबिज है शेष हिस्से के अप्रार्थीगण मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा सह खातेदार काबिज है. आ.ख.न. 134 रकबा 0.04 135 रकबा 0.10 वाके लालचाद के 1/2 हिस्से का प्रार्थी सं.2 सह खातेदार काबिज काश्तकार है शेष हिस्से के अप्रार्थीगण रिकार्ड व हिस्सा सह- खातेदार काबिज है. तथा ख.न. 133 रकबा 0.05 वाके लालचाद का 1/2 हि. का प्रार्थी सं.1 खातेदार काबिज है. ख.न. 127 रकबा 0.20 का प्रार्थीगण सं.2, 1/2 हिस्से का खातेदार व काश्तकार है शेष अप्रार्थीगण सह खातेदार है ख.न. 37 रकबा 0.13 के 1/2 हिस्से का प्रार्थी सं.3 खातेदार का काश्तकार है. ख.न. 36 रकबा 0.10, 34 रकबा 0.10. के 1/2 हिस्से का प्रार्थी सं.3 खातेदार व काबिज है. ख.न. 3 रकबा 0.16 के 1/4 हिस्से का प्रार्थी सं.3 तथा 1/4 हिस्से का प्रार्थीगण सं.4,5,7 के पिता रमेश व प्रार्थिया सं.6 का पति- रमेश सह खातेदार काबिज था. शेष- हिस्से के अप्रार्थीगण मुताबिक रिकार्ड व हिस्सा काबिज खातेदार है. उक्त ख.न. 23 बाईपास रोड नक्शे में पूर्णरूप से चला गया तथा ख.न. 22 रकबा 0.06 वाके लालचाद के 1/4 हिस्से का प्रार्थी सं.1 तथा 1/4 हिस्से पर प्रार्थीगण सं.4 लगा.7 वा हिस्सा बराबर खातेदार की तरह- काबिज काश्त करते चले आ रहे है शेष हिस्से के अप्रार्थीगण सह- खातेदार काबिज है. तथा ख.न. 21 रकबा 0.08 के 1/2 हिस्से का प्रार्थी सं.2 खातेदार काबिज है. शेष मुताबिक- रिकार्ड व हिस्सा खातेदार काबिज है.

(3) यह है कि- ख.न. 23 व 24- सम्पूर्ण रूप से बाईपास रोड- में एक्वायर कर लिये गये है तथा मुआवजा भी प्राप्त कर लिया गया है. ख.न. 25 का -

Scanned by CamScanner

अधिकांश हिस्सा परिवार रोड में चला गया है. ख.नं. 25 के कोने रह गये हैं। कब्जा पर किये गये रकबा का मुआवजा प्राप्त कर लिया गया है.

यह कि विवादित आराजी को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने रिकार्ड के अंकित हिस्सेमुताबिक खातेदार के रूप में काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, जो कि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के मन में बदनीयति आगई है, तथा ख.नं. 2 रकबा 0.13, 26 रकबा 0.12 के सम्पूर्ण रकबा पर जबरन ख.66 के बल कब्जा करने को प्रयासरत हैं. प्रार्थी सं. 1 जो कि 83 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है, उसके हिस्से के 1/2 हिस्से से बेदखल कर- देने पर आमादा है.

यह कि सहखातेदार रमेश पुत्र कुन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वारिसान प्रार्थीगण सं. 4 ता 7 है. रमेश सह खातेदार द्वारा छोड़ी गई खातेदारी की आराजी पर अभी तक प्रार्थीगण सं. 4 ता 7 के नाम दाखिल खारिज विरासतन नहीं खुल पाया है, तथा अमल दरामद खातेदारी नहीं हो पाया है. तथा हाल राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से मृतक रमेश के नाम खातेदारी चली आरही है. जिससे प्रार्थीगण सं. 4 ता 7 के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है. अतः प्रार्थीगण सं. 4 ता 7 वि.आ. में से ख.नं. 22 रकबा 0.06 के मृतक रमेश के 1/4 हिस्से पर वा हिस्सा बराबर खातेदार व काबिज घोषित कराने के अधिकारी है. तथा मृतक रमेश के नाम चली आ रही वारिस इन्द्राजात को खातेदारी के इन्द्राजात को कालम में कराने के अधिकारी है.

6) यह कि विवादित आराजी को अब पूर्व की भांति काश्त करना सम्भव नहीं रहा है तथा मेड़ व्यान आड़ पर झगड़े पैदा हो गये हैं तथा काश्त करना सम्भव नहीं रहा है. अतः प्रार्थी सं. 1 ता 7 वि.आ. का प्रार्थीगण सं. 1 ता 7 व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 व प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकार्ड में अंकित हिस्सेमुताबिक बंटवारा कराने का अधिकारी है, तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने दि. 24.10.18 को प्रार्थीगण को धमकी दी प्रार्थीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा करेंगे तथा ख.नं. 27, 26, के 1/2 हिस्से से ख.66 के बल पर जबरन बेदखल कर देंगे तथा मौके की स्थिति बदल देंगे -

अतः प्रार्थना कि प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला मुकदमा असालतन व वकालतन पाबन्द किया जावे कि वि.आ. की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें. मदाखलत मजाहमत नाजायज प्रार्थी को बेदखल ना करें

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का दर्ज रजि. पाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण को तामील जरिये नोटिस होने उपरान्त भी न्यायालय उपस्थित नहीं हुए अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2076-2079 वाले लालचाट पेश की गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस एक तरफा में सुनी गयी तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। तथा हमने बहस एक तरफा को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि!

(1) प्रथम दृष्टया! - प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2076-2079 वाले साम लालचाट पेश की गई जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा ख.नं. 26, 129, 25, 27, 28 कित्ता 5 कुल रकबा 0.67 वाले लालचाट पर अभी तक विधिवत रूप से कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाये तब तक विवादित आराजी पर प्रत्येक सह खातेदार का अपना हिस्सा निहित होता है। इसलिए विवादित आराजी की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है ताकि विवादित आराजी को खुर्द बुर्द होने से बचाया जा सके। तथा दावा विभाजन का प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है।

(2) सुविधा का सन्तुलन! - भी प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। क्योंकि जब तक विभाजन नहीं हो जाये तब तक आराजी का सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।

(3) अपूर्णीय क्षति! - विवादित आराजी अगर अन्य या मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख.नं. 26, 129, 25, 27, 28 कुल 5 रकबा 0.67 है. वाले लालचाट पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति वादे की निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दि. 28.1.2020 को सुनाया गया।

[illegible]

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner